आदेश संख्या	आज्ञा-पत्र
21/11/25	पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण किया जाना उचित होगा। तदनुसार पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण किया जाता है। पक्षकारों के मध्य कोई वाद-व्यय नहीं दिलाया जाता है। पत्रावली को विधिवत नियमानुसार अभिलेखागार में संधारण हेतु भेजा जाये। आज दिनांक 21/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया गया।

सहायक कलक्टर II
सीकर

सहायक कलक्टर II
सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर सत्यमेव जयते